



दिनांक-04/03/2021

थाना बिंवार

तहसीलकर्मी की हत्या करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी-

थाना क्षेत्र बिंवार में दिनांक 28/02/2021 को दोपहर करीब 01:00 बजे ग्राम लोदीपुर निवादा में तहसील मौदहा में बतौर लेखाकार सहायक कार्यरत पंकज तिवारी निवासी लोधीपुर निवादा की विनय सिंह द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के संबंध में मु0अ0सं0-27/21, धारा-302 आईपीसी पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना को लेकर उ0प्र0 मि0 कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ द्वारा घटना के प्रति रोष प्रकट करते हुए अभियुक्त विनय सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जनपद की समस्त तहसीलों में कार्य वहिष्कार किया गया।

मुकदमा उपरोक्त में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्राधिकारी मौदहा के कुशल निर्देशन में घटना अभियुक्त विनय सिंह की गिरफ्तारी हेतु थाना ललपुरा, थाना मौदहा, एसओजी थाना बिंवार की 04 पुलिस टीम बनाते हुए गिरफ्तारी के लिए आदेशित किया गया जिसके क्रम में दिनांक 3 मार्च 2021 को देर रात अभियुक्त विनय सिंह को थाना ललपुरा व बिंवार की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार करते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया।

पूछताछ के दौरान अभि0 विनय सिंह द्वारा बताया गया कि मृतक पंकज तिवारी की पत्नी श्रीमती वंदना तिवारी से पिछले करीब 02 वर्षों से उसके साथ अवैध सम्बन्ध हो गये हैं। जिसकी जानकारी अभियुक्त और वंदना तिवारी के परिजनो को भी हो गयी थी, करीब 01 वर्ष पहले गांव के कुछ लोगों के द्वारा पंचायत करके वंदना तिवारी को उसके भाई के घर जबलपुर भेज दिया गया था ताकि अभियुक्त और वंदना तिवारी आपस में न मिल सके। वंदना तिवारी को उसका पति पंकज तिवारी इसी दिवाली के आसपास उसके मायके जबलपुर से लाकर मौदहा करबा हमीरपुर में अलग से मकान लेकर रहने लगा था। पंकज तिवारी अभियुक्त विनय सिंह और वंदना तिवारी के अवैध सम्बन्धों के बीच बाधक बन रहा था। इन सब चीजों से अभि0 विनय सिंह काफी परेशान था और पिछले 06 महीने से इसी इन्तजार में था कि मौका मिलने पर पंकज तिवारी की हत्या कर उसे रास्ते से हटा दे, ताकि अभि0 विनय सिंह और वंदना तिवारी बिना किसी रोक टोक के अपने अवैध सम्बन्धों को बनाये रखे। अभि0 विनय सिंह और वंदना तिवारी के बीच मोबाइल फोन से बातचीत वीडियो कालिंग, वाट्सअप चैटिंग आदि पहले होती रहती थी। पंकज तिवारी तहसील मौदहा में लेखाकार सहायक के पद पर तैनात था दो तीन दिन की छुट्टिया पडने के कारण वह अकेले अपने गांव निवादा आया था। दिनांक 28/02/2021 को जब पंकज तिवारी अपने खेतों से मटर की मडाई कर अपनी मोटर साइकिल से वापस गांव की तरफ आ रहा था तभी खेतों के बीच कच्चे रास्ते पर अभि0 विनय सिंह मोटर साइकिल से उसका पीछा कर रास्ते में रोक लिया तथा पहले से तैयार योजना के तहत अपने तमंचे से पंकज तिवारी को गोली मार दी। तब तक पीछे से आ रहे मृतक के पारिवारिकजन और खेतों में काम कर रहे अन्य लोग भी आ गये तो अभि0 विनय सिंह अपनी मोटर साइकिल से भागकर गांव के बीच से गुजर रहा था तभी रास्ते में मे अभि0 विनय सिंह गांव का चक्रपाणि पुत्र रंजीत सिंह मिल गया तो अभि0 विनय सिंह ने अपना तमंचा उसे छिपाने के लिये दे दिया और मोटर साइकिल से भागकर ग्राम अतरार थाना बिंवार जनपद हमीरपुर अपने रिश्ते के मामा गणेश सिंह के घर आया और अपने मामा गणेश सिंह के साथ मोटर साइकिल से अपने बहनोई हेमराज पुत्र स्व0 हरिशंकर सिंह नि0 LIG 69 इन्द्रानगर भाग 2 थाना कोतवाली जनपद बांदा के आवास पर पहुंचाकर मोटर साइकिल को लेकर वापस चला गया। बहनोई हेमराज को अभि0 विनय सिंह

द्वारा कारित हत्या की बात बताने पर हेमराज ने उसे पुराने फोन बन्द करने को कहा और अपने ही घर के पास अपने परिचित दुकान से एयरटेल का सिम जिसका नं० 8787202453 बिना आईडी० के दिलाया और सेकेन्ड हैंड फोन दिलवाया था। इसके बाद अभि० विनय सिंह को न्यायालय में हाजिर कराने के लिये अपने परिचित वकील से मिलवाने जनपद जालौन की कालपी तहसील में लेकर जा रहे कालपी जाने के लिये दूसरे वाहन के इन्तजार में खडे थे जहा पर थाना ललपुरा व थाना बिंवार की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त विनय सिंह व उसके सहयोगी हेमराज को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान अभि० विनय सिंह द्वारा हत्या करने में प्रयुक्त अवैध शस्त्र चक्रपाणि सिंह को छिपाने हेतु दिया जाना बताया गया जिसे थाना बिंवार की टीम द्वारा चक्रपाणि सिंह की निशानदेही पर उसके खेत से बरामद किया गया है। अभि० विनय सिंह का घटना स्थल से भागने में सहयोग करने वाले अभि० गणेश सिंह की भी गिरफ्तारी करते हुये भादसं की धारा-212 के तहत न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

बरामदगी:-

- 1) एक अदद तमंचा 315 बोर
- 2) एक अदद कारतूस 315 बोर
- 3) 03 अदद मोबाइल

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

- 1) मु०अ०सं०-27/21, धारा-302 आईपीसी बनाम विनय सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी ग्राम लोधीपुर निवादा थाना बिंवार
- 2) मु०अ०सं०-28/21, धारा-212 आईपीसी बनाम हेमराज पुत्र स्व० हरिशंकर सिंह निवासी कोतवाली नगर बांदा
- 3) मु०अ०सं०-29/21, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट बनाम चक्रपाणि पुत्र रंजीत सिंह निवासी ग्राम लोधीपुर निवादा थाना बिंवार
- 4) मु०अ०सं०-30/21, धारा-212 आईपीसी बनाम गणेश सिंह पुत्र स्व० इन्द्रपाल निवासी अतरार थाना बिंवार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1) प्र०नि० बिंवार ओमप्रकाश यादव
- 2) थाना प्रभारी ललपुरा दुर्गविजय सिंह
- 3) उ०नि० दीपक कुमार थाना बिंवार
- 4) का० नरेन्द्र कुमार थाना बिंवार
- 5) का० पवन कुमार थाना बिंवार
- 6) म०का० अजलि थाना बिंवार
- 7) का० मुशीर अली थाना ललपुरा
- 8) का० सनी सिंह थाना ललपुरा

